न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–227 / 2013

राम गुलेल राय वगैरह.....वादी

बनाम

राम रतन राय वगैरह.....प्रतिवादीगण

17.07.25 अभिलेख आज वादी की ओर से प्रदर्श अंकित दस्तावेजों पर हस्तक्षर हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–25.06.2025 तथा प्रतिवादी की ओर से प्रदर्श करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–17.07.2025 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। उभय पक्षों ने एक–दूसरे के आवेदन पर मौखिक सहमति दर्ज की है।

अपने आवेदन में वादी ने यह निवेदन किया है कि वर्तमान वाद में मूल केवाला दिनांक–23.02.1979 बविरते नागेन्द्र राय बनाम राम गुलेल राय दिनांक–31.08.2016 को प्रदर्श अंकित हुआ, परन्तु उक्त कागजात पर श्रीमान् का हस्ताक्षर नहीं हो पाया एवं वादी द्वारा दाखिल अन्य कागजात भी वादी के आवेदन दिनांक–06.09.2016 वो आदेश दिनांक–26.09.2016 से प्रदर्श हो चुका है, लेकिन कागजात पर अंकित नहीं हो पाया है लेहाजन कागजात पर प्रदर्श अंकित होना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादी द्वारा दाखिल कागजातों पर प्रदर्श अंकित करते हुए हस्ताक्षरित करने की कृपा प्रदान करें।

प्रतिवादी ने अपने आवेदन में निवेदन किया है कि उन्होंने अपने दावा के समर्थन में कुछ दस्तावेज फ्रिस्त रबूत के साथ दिनांक–24.08.2016 को दाखिल किया था जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में है जिसे प्रतिवादी की ओर से प्रदर्श अंकित होना आवश्यक है। आवेदन शपथ–पत्र से सम्पुष्ट है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी दाखिल दस्तावेज को प्रदर्श अंकित करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद बहस हेतु लंबित है तथा वादी के द्वारा दाखिल दस्तावेजों जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते है जो दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित है, परन्तु उस पर न्यायालय का हस्ताक्षर नहीं होने एवं कुछ दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित करते हुए हस्ताक्षर किए जाने का निवेदन किया गया है तथा प्रतिवादी ने अपने आवेदन में अपने वाद के समर्थन में आवेदनांकित कुछ दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित किए जाने का निवेदन किया है जो सभी दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में होने का कथन किया है, जिसके संदर्भ में उभय पक्षों ने एक–दूसरे के आवेदन पर मौखिक सहमजि दर्ज की है, चूँकि उभय पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण एवं वाद के अंतिम विनिश्चयन हेतु प्रदर्श अंकन का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी एवं प्रतिवादी दोनों के द्वारा दाखिल उपरोक्त दोनों आवेदनों को वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन न्याहित में केवल प्रदर्श अंकन के लिए स्वीकृत किया जाता है तथा अभिलेख को पुनः बहस हेतु नियत किया जाता है। कार्यालय वादी के आवेदनांकित कुछ दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित करते हुए हस्ताक्षर कराए, एवं प्रदर्श अंकित दस्तावेज पर हस्ताक्षर किराएं तथा प्रतिवादी के आवेदनांकित दस्तावेजों को कमवार प्रदर्श अंकित करें एवं हस्ताक्षर कराएं। अभिलेख पुनः उभय पक्षों के बहस हेतु नियत किया जाता है।

वाद दिनांक– 21-08-2025 वास्ते पुनः बहस हेतु नियत किया जाता है।

अवर न्यायाधीश,

शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।